



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-61/2026/86 के-2/22-3-2024-17(265)/2024
लखनऊ : दिनांक: 17 मार्च, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य दिवस (07 अप्रैल, 2024) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी सुदेश (बन्दी संख्या-48293) पुत्र श्री अतर सिंह, निवासी-सिखेड़ा, थाना-इंचौली, जनपद-मेरठ, वर्तमान पता-मोहल्ला जीतपुर कस्बा व थाना-मुरादनगर, जनपद-गाजियाबाद जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-1238, 1289/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302, 394, 201, 411 व 25/4 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-03, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 08-10-2012 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 07.04.2024 तक 16 वर्ष, 06 माह, 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, 30प्र0, लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ/गाजियाबाद।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, मेरठ/गाजियाबाद।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
- 5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाथर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
- 6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, 30प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।